कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली।

कमांक– आदेश/रिमाण्ड/01 दिनांक 04.01.2020

––:: रिमाण्ड डयूटी बाबत संशोधित कार्यालय–आदेश ::––

दण्ड प्रकिया संहिता की धारा–14 सपठित धारा–15(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं राजेश मीणा, आर.जे.एस. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली आदेश पारित करता हूँ कि माह जनवरी, फरवरी व मार्च 2020 में पडने वाले अवकाश के दिनों में करौली जिला न्यायक्षेत्र के समस्त थानों की सीमा में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी मुकदमात में रिमाण्ड, जमानत, मृत्युकालीन कथन व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य की सुनवायी हेतु सम्बंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने या मुख्यालय पर नहीं होने की स्थिति में कॉलम संख्या–4 में अंकित दिनांक के लिए कॉलम संख्या–2 में अंकित पीठासीन अधिकारीगण को आंशिक संशोधन करते हुये निम्नानुसार अधिकृत किया जाता है, पूर्व आदेश यथावत रहेगा :–

माह जनवरी 2020

क.सं.	नाम अधिकारी	पदनाम	तारीख
1	02	03	04
1	सुश्री कांता कुमारी RJS	न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली	05 जनवरी 2020
2	श्री मनोज कुमार RJS	न्यायिक मजिस्ट्रेट, सपोटरा	25 व 26 जनवरी 2020

माह फरवरी 2020

क.सं.	नाम अधिकारी	पदनाम	तारीख
01.	02.	03.	04
4	श्रीमति शैला फौजदार RJS	न्यायिक मजिस्ट्रेट हिण्डौनसिटी	21, 22 व 23 फरवरी 2020

माह मार्च 2020

क.सं.	नाम अधिकारी	पदनाम	तारीख
01.	02.	03.	04
1	सुश्री विभा आर्य RJS	अ.न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली	01 मार्च 2020

निर्देशः–

5. अधिकृत किए गए पीठासीन अधिकारी नियत तिथि के पूर्ववर्ती कार्य दिवस के कार्यालय समय पश्चात से पश्चातवर्ती कार्य दिवस को कार्यालय समय पूर्व तक कार्य सम्पादित करेंगे।
6. यदि किसी कारण से निर्धारित तिथि के अगले दिन राजकीय अवकाश घोषित हो जाता है तो वही पीठासीन अधिकारी उक्त कार्य करेंगे जो राजकीय अवकाश घोषित होने से पूर्व दिवस के लिए नियत किए गए थे।
7. नियत किए दिवस को यदि किसी आकस्मिक घटना या अपरिहार्य कारणों से अधिकृत अधिकारी को असुविधा है तो वे किसी अन्य अधिकारी की सहमति प्राप्त कर इस कार्यालय को सूचित करेंगे तथा कार्यालय द्वारा संशोधित आदेश पारित होने के पश्चात ही नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर मुख्यालय परित्याग करें।
8. अवकाश के दिन यदि सम्बंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट मुख्यालय पर है तो वह अपने परिक्षेत्र से सम्बंधित उक्त कार्य करेंगे।

sd/-
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
करौली

कमांक– 13 दिनांकः– 04.01.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, करौली ।
2. श्रीमान पुलिस अधीक्षक करौली को वास्ते सूचित करने समस्त आरक्षी केन्द्र
3. संबंधित अधिकारी सर्व श्री ....
4. सिस्टम अधिकारी करौली को इस निर्देश के साथ कि सभी अधिकारीगण की मेल आई डी पर आदेश भिजवावे एवं जिला न्यायालय करौली की बेबसाईट पर इस आदेश को अपलोड करें।
5. प्रभारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रूम, करौली।
6. आदेश पत्रावली /नोटिस बोर्ड

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
करौली।